डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 अक्टूबर, 2023, डिस्पेच दिनांक 16 अक्टूबर, 2023

| वर्ष 67 | अंक 10 | भोपाल | 16 अक्टूबर, 2023 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन के लिए 17 नवंबर को होगा मतदान

निर्वाचन की घोषणा के साथ ही लागू हुई आदर्श आचार संहिता
प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से होगा पालन - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने कहा है कि मध्यप्रदेश में आज से निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 17 नवम्बर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसम्बर को होगी। निर्वाचन की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी और 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे। आवेदनों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को होगी और 2 नवम्बर को नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी।

प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 मतदाता फोटो निर्वाचक नामावली में नामांकित है। इसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607 जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 है। थर्ड जेंडर मतदाता एक हजार 373 है। प्रदेश में 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। शहरी क्षेत्र में 16 हजार 763 और ग्रामीण क्षेत्र में 47

हजार 760 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक मदान केंद्र पर शौचालय, रेंप, व्हील चेयर, पानी, हेल्पडेस्क, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वरिष्ठ नागरिक एवं (पीडब्ल्यूडी) दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र भूतल पर बनाए गए हैं। इन्हें घर से भी मतदान करने की सुविधा (पोस्टल बेलेट) दी गई है। ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12 डी भरकर देना होगा। श्री राजन ने बताया कि प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन सदन में आज से ही राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) द्वारा न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों एवं समाचारों पर निगरानी रखने के लिये जनसम्पर्क अधिकारियों की टीम 24 घण्टे निगाह रखेगी। मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत सरकारी/ सार्वजनिक/ निजी संपत्ति पर अनाधिकृत विरूपण हटाने के लिए नियत सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। टीमों का गठन किया जाकर अंतरराज्यीय नाकों, प्रदेश में अवैध शराब, नगद राशि आदि पर निगरानी रखी जा रही है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जीपीएस आधारित C Vigal ऐप में 2 मिनट का वीडियो और फोटो डाउनलोड किए जा सकेंगे। कोई भी नागरिक आयोग को ऐप के माध्यम से शिकायत प्रेषित कर सकेंगे। निर्वाचन के दौरान प्रेक्षकगण संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पर निगाह रखेंगे, जिनमें सामान्य प्रेक्षक, पुलिस और व्यय प्रेक्षक निरंतर निर्वाचन प्रक्रिया को देखेंगे।

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन होने के बाद भी पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे।

राज्यस्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ 24 घंटे संचालित

तीन पारियों में जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी कर रहे हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों की सतत मॉनिटरिंग

भोपाल : मध्यप्रदेश में 9 अक्टूबर से विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज संबंधी मामलों, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रिंट मीडिया में प्रकाशित एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल में प्रसारित खबरों की 24 घंटे सतत् मॉनिटरिंग/ रिकॉर्डिंग की जा रही है। राज्यस्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ, राज्य नोडल अधिकारी, आयुक्त जनसम्पर्क श्री मनीष सिंह के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। न्यूज मॉनिटरिंग एवं पेड न्यूज के मामलों सहित अन्य सभी कार्यों के लिये अपर संचालक डॉ. एच.एल. चौधरी को मुख्य नोडल अधिकारी बनाया गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, निर्वाचन सदन, अरेरा हिल्स, भोपाल में राज्यस्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ (स्टेट लेवल एमसीएमसी सेल) कार्य कर रहा है। इस प्रकोष्ठ में जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम तीन पारियों में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों की सतत् निगरानी कर रही है। यह कार्य प्रतिदिन तीन पारियों में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 से रात्रि 10 बजे तक और रात्रि 10 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक निर्बाध रूप से निरन्तर किया जा रहा है।

राज्यस्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ में तीनों पारियों में ड्यूटी में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ एक-एक नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। इनकी सहायता के लिए सहायक नोडल अधिकारी भी बनाये गये हैं। प्रथम पारी सुबह 6 से दोपहर 2 बजे, दूसरी पारी दोपहर 2 से रात्रि 10 बजे और तीसरी पारी रात्रि 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक निर्बाध मॉनिटरिंग की जा रही है।

समाचार पत्र, पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारों एवं मीडिया रिपोर्ट्स की कतरनों के संधारण कार्य के लिए भी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक के लिए अधिकारी, कर्मचारी तैनात किये गये हैं। तीनों पारियों के लिये आकस्मिक एवं वैकल्पिक व्यवस्था के लिए रिजर्व अधिकारी और कर्मचारी भी तैनात किये गये हैं।

जीरो बजट प्राकृतिक खेती

धरती में इतनी क्षमता है कि वह सब की जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने में वह सक्षम नहीं है...

भोपाल। महात्मा गांधी के सोलह आना सच्चे इस वाक्य को ध्यान में रखकर जीरो बजट प्राकृतिक खेती की जाये, तो किसान को न तो अपने उत्पाद को औने-पौने दाम में बेचना पड़े और न ही पैदावार कम होने की शिकायत रहे। लेकिन सोना उगलने वाली हमारी धरती पर खेती करने वाला किसान लालच का शिकार हो रहा है।

कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले इस देश में रासायनिक खेती के बाद अब जैविक खेती सहित पर्यावरण हितैषी खेती,एग्रो इकोलोजीकल फार्मिंग,बायोडायनामिक फार्मिंग, वैकल्पिक खेती,शाश्वत कृषि,सावयव कृषि, सजीव खेती, सांद्रिय खेती, पंचगव्य, दशगव्य कृषि तथा नडेप कृषि जैसी अनेक प्रकार की विधियां अपनाई जा रही हैं और संबंधित जानकार इसकी सफलता के दावे करते आ रहे हैं।

परन्तु किसान भ्रमित है। परिस्थितियां उसे लालच की ओर धकेलती जा रही हैं। उसे नहीं मालूम उसके लिये सही क्या है ? रासायनिक खेती के बाद उसे अब जैविक कृषि दिखाई दे रही है। किन्तु जैविक खेती से ज्यादा सस्ती,सरल एवं ग्लोबल वार्मिंग (पृथ्वी के बढ़ते तापमान) का मुकाबला करने वाली "जीरो बजट प्राकृतिक खेती" मानी जा रही है।

जीरो बजट प्राकृतिक खेती क्या है?

जीरो बजट प्राकृतिक खेती देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र पर आधारित है। एक देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र से एक किसान तीस एकड़ जमीन पर जीरो बजट खेती कर सकता है। देसी प्रजाति के गौवंश के गोबर एवं मूत्र से जीवामृत, घनजीवामृत तथा जामन बीजामृत बनाया जाता है। इनका खेत में उपयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि के साथ-साथ जैविक गतिविधियों का विस्तार होता है। जीवामृत का महीने में एक अथवा दो बार खेत में छिड़काव किया जा सकता है।जबकि बीजामृत का इस्तेमाल बीजों को उपचारित करने में किया जाता है। इस विधि से खेती करने वाले किसान को बाजार से किसी प्रकार की खाद और कीटनाशक रसायन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। फसलों की सिंचाई के लिये पानी एवं बिजली भी मौजूदा खेती-बाड़ी की तुलना में दस प्रतिशत ही खर्च होती है ।

सफल उदहारण

गाय से प्राप्त सप्ताह भर के गोबर एवं गौमूत्र से निर्मित घोल का खेत में छिड़काव खाद का काम करता है और भूमि की उर्वरकता का ह्रास भी नहीं होता है। इसके इस्तेमाल से एक ओर जहां गुणवत्तापूर्ण उपज होती है, वहीं दूसरी ओर उत्पादन लागत लगभग शून्य रहती है। राजस्थान में सीकर जिले के एक प्रयोगधर्मी किसान कानसिंह कटराथल ने अपने खेत में प्राकृतिक खेती कर उत्साह वर्धक सफलता हासिल की है । श्री सिंह के मुताबिक इससे पहले वह रासायिक एवं जैविक खेती करता था, लेकिन देसी गाय के गोबर एवं गोमूत्र आधारित जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है।

प्राकृतिक खेती के सूत्रधार महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर की मानें तो जैविक खेती के नाम पर जो लिखा और कहा जा रहा है, वह सही नहीं है। जैविक खेती रासायनिक खेती से भी खतरनाक है तथा विषैली और खर्चीली साबित हो रही है। उनका कहना है कि वैश्विक तापमान वृद्धि में रासायनिक खेती और जैविक खेती एक महत्वपूर्ण यौगिक है। वर्मीकम्पोस्ट का जिक्र करते हुये वे कहते हैं...यह विदेशों से आयातित विधि है और इसकी ओर सबसे पहले रासायनिक खेती करने वाले ही आकर्षित हुये हैं, क्योंकि वे यूरिया से जमीन के प्राकृतिक उपजाऊपन पर पड़ने वाले प्रभाव से वाकिफ हो चुके हैं।

पर्यावरण पर असर

कृषि वैज्ञानिकों एवं इसके जानकारों के अनुसार फसल की बुवाई से पहले वर्मीकम्पोस्ट और गोबर खाद खेत में डाली जाती है और इसमें निहित 46 प्रतिशत उड़नशील कार्बन हमारे देश में पड़ने वाली 36 से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के दौरान खाद से मुक्त हो वायुमंडल में निकल जाता है। इसके अलावा नायट्रस, ऑक्साइड और मिथेन भी निकल जाती है और वायुमंडल में हरितगृह निर्माण में सहायक बनती है। हमारे देश में दिसम्बर से फरवरी केवल तीन महीने ही ऐसे है, जब तापमान उक्त खाद के उपयोग के लिये अनुकूल रहता है।

आयातित केंचुआ या देसी केंचुआ?

वर्मीकम्पोस्ट खाद बनाने में इस्तेमाल किये जाने वाले आयातित केंचुओं को भूमि के उपजाऊपन के लिये हानिकारक मानने वाले श्री पालेकर बताते है कि दरअसल इनमें देसी केचुओं का एक भी लक्षण दिखाई नहीं देता। आयात किया गया यह जीव केंचुआ न होकर आयसेनिया फिटिडा नामक जन्तु है, जो भूमि पर स्थित काष्ट पदार्थ और गोबर को खाता है। जबकि हमारे यहां पाया जाने वाला देशी केंचुआ मिट्टी एवं इसके साथ जमीन में मौजूद कीटाणु एवं जीवाणु जो फसलों एवं पेड़- पौधों को नुकसान पहुंचाते है, उन्हें खाकर खाद में रूपान्तरित करता है। साथ ही जमीन में अंदर बाहर ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे भूमि में असंख्यक छिद्र होते हैं, जिससे वायु का संचार एवं बरसात के जल का पुर्नभरण हो जाता है । इस तरह देसी केचुआ जल प्रबंधन का सबसे अच्छा वाहक है। साथ ही खेत की जुताई करने वाले "हल " का काम भी करता है।

सफलता की शुरुआत

जीरो बजट प्राकृतिक खेती जैविक खेती से भिन्न है तथा ग्लोबल वार्मिंग और वायुमंडल में आने वाले बदलाव का मुकाबला एवं उसे रोकने में सक्षम है । इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला किसान कर्ज के झंझट से भी मुक्त रहता है । प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक देश में करीब 40 लाख किसान इस विधि से जुड़े हुये आयातित ।

किसान पोल्ट्री फार्म में कैरी निर्भीक मुर्गी पालकर कमा सकते हैं अच्छा पैसा

नई दिल्ली: भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित कैरी निर्भीक एक देसी नस्ल की मुर्गी है, जो मूल रूप से असील पीला जैसी दिखाई देती हैं। कैरी-निर्भीक नर (मुर्गा) के पंखों का रंग सुनहरा-लाल होता हैं जबकि मादा (मुर्गी) में सुनहरे-लाल से पीला होता हैं। इसकी त्वचा और टांग का रंग पीला होता है, जबकि नर में कर्णमूल लाल और मादा में लाल और सफेद होता है। आंखों का रंग मुख्यतः काला है।

कैरी-निर्भीक अंडे और मांस उत्पादन के लिए दोहरे प्रकार का रंगीन स्वदेशी चिकन है। इसका मांस प्रोटीन के गुणों से भरपूर होता है। इस नस्ल की मुर्गी तेज तर्रार, आकार में बड़ी, शक्तिशाली और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होती हैं। नर में लड़ने की प्रवृत्ति और मादा में चिड़चिड़ेपन की प्रवृत्ति इस किस्म के कुछ अनोखे लक्षण हैं। इस नस्ल के नर और मादा का वजन लगभग 20 सप्ताह के अंदर ही 1850 और 1350 ग्राम के आसपास हो जाता है। इस किस्म की मुर्गियों से लगभग 170-180 दिनों में 170-200 अंडों का उत्पादन ले सकते हैं। इनके अण्डों का वजन लगभग 54 ग्राम होता हैं। इन पक्षियों की प्रजनन क्षमता, अंडों से निकलने की क्षमता और अंडे के अंदर रहने की क्षमता क्रमशः 88, 81 और 94% के आसपास दर्ज की गई है। आजकल कई किसान इस पक्षी को 2000 से 5000 पक्षियों के साथ स्टॉल फीडिंग के साथ सीमित क्षेत्र में रखते हैं।

अगर किसान चाहें तो कैरी निर्भीक मुर्गी का पोल्ट्री फार्म शुरू करके कम खर्च में अच्छा पैसा कमा सकते हैं।

कृषि में ड्रोन का महत्व

भोपाल : समय व जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ खेती में जहां समस्याओं का आकार व स्वरूप बदला है, वहीं किसानों पर लागत में कमी लाते हुए अधिक उत्पादन का दबाव भी बढ़ा है। किसानों की आय को दोगुनी करने के ध्येय को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक खेती के नए तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं। इनमें अत्याधुनिक कृषि मशीनों तथा अन्य उपकरणों का विशेष तौर पर जिक्र किया जा सकता है। क्रमिक विकास के फलस्वरूप अन्य मशीनों और यंत्रों की भांति ड्रोन भी विकास के उस मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां उसे खेती के प्रयोग में भी लाया जा सकता है।

ड्रोन एक मानव रहित विमान है। ड्रोन अधिक औपचारिक रूप से मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) या मानव रहित विमान प्रणाली के रूप में जाने जाते हैं। ड्रोन का अविष्कार सन् 1935 पहला आधुनिक ड्रोन विकसित किया गया। डी हैविलैंड 82ठ क्वीन बी विमान का उपयोग हवाई लक्ष्य अभ्यास के लिए विकसित एक कम लागत वाले रेडियो नियंत्रित ड्रोन के रूप में किया गया था। ड्रोन के पास अब कई कार्य हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन की निगरानी से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के बाद तलाशी अभियान चलाना, फोटोग्राफी करना, फिल्म बनाना और सामान पहुंचाना शामिल है। लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद उपयोग सेना द्वारा टोही, निगरानी और लक्षित हमलों के लिए किया जाता है। सन् 2000 में, जापानी कंपनी यामाहा ने दुनिया का पहला कृषि ड्रोन, क्र-50 पेश किया, जिसे फसल मानचित्रण और क्षेत्र विश्लेषण के लिए डिज़ाइन किया गया था। 2020 में कृषि ड्रोन का बाजार बढ़कर 1.2 अरब डॉलर हो गया और विश्लेषकों को उम्मीद है कि 2025 तक यह करीब 6 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारत सरकार किसानों को ड्रोन का उपयोग करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। खेती का उत्पादन बढ़ाने में ड्रोन किसानों की काफी मदद करते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पहला ड्रोन, एग्रीबॉट, केवल 35 दिनों में विकसित किया गया था।

ड्रोन का उपयोग किसी भी वनस्पति या फसल के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए किया जाता है, खरपतवारों, संक्रमणों और कीटों से प्रभावित क्षेत्र और इस आकलन के आधार पर, इन संक्रमणों से लडऩे के लिए आवश्यक रसायनों की सही मात्रा का उपयोग किया जाता है, जिससे किसान के लिए समग्र लागत का अनुकूलन किया जा सकता है। उन्नत रिमोट सेंसिंग क्षमताओं वाले ड्रोन का उपयोग फसलों की निगरानी करने, कीटनाशकों और उर्वरकों का छिडक़ाव करने, सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन करने,

उपज की भविष्यवाणी करने आदि के लिए किया जाता है। कुशल क्षेत्र योजना के लिए कृषि ड्रोन का उपयोग मिट्टी और क्षेत्र विश्लेषण के लिए किया जाता है। मिट्टी में नमी की मात्रा, इलाके की स्थिति, मिट्टी की स्थिति, मिट्टी के कटाव, पोषक तत्वों की मात्रा और मिट्टी की उर्वरता का मूल्यांकन करने के लिए उनका उपयोग सेंसर को माउंट करने के लिए किया जाता है। फसल निगरानी, बीज बोने से लेकर कटाई के समय तक फसल की प्रगति का पर्यवेक्षण है। इसमें सही समय पर खाद देना, कीटों के हमले की जांच करना और मौसम की स्थिति के प्रभाव की निगरानी करना शामिल है। फसल की निगरानी ही एकमात्र तरीका है जिससे एक किसान समय पर फसल सुनिश्चित कर सकता है, खासकर जब मौसमी फसलों की बात होती है। किसी भी त्रुटि के परिणामस्वरूप फसल खराब हो सकती है। फसल निगरानी अगले खेती के मौसम को समझने और योजना बनाने में मदद करती है। इन्फ्रारेड कैमरों से खेत का निरीक्षण करके ड्रोन प्रभावी फसल निगरानी में मदद करते हैं और अपनी वास्तविक समय की जानकारी के आधार पर किसान खेत में पौधों की स्थिति में सुधार के लिए सक्रिय उपाय कर सकते हैं। ड्रोन पेड़ और फसल लगाने में मदद करते हैं। इस तकनीक से न केवल श्रम की बचत होती हैए बल्कि ईंधन की बचत में भी मदद मिलती है। कृषि – ड्रोन का उपयोग रसायनों के छिडक़ाव के लिए करते हैं पारंपरिक तरीकों की तुलना में बहुत कम समय में फसलों पर उर्वरकों और कीटनाशकों का छिडक़ाव संभव हो जाता है। मिट्टी और लगाई गई फसल के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए लगातार सर्वेक्षण आवश्यक है। मैन्युअल सर्वेक्षण में कई दिन लग जाते हैं, और त्रुटि की संभावना भी होती है। ड्रोन उसी काम को कुछ ही घंटों में कर सकता है। इन्फ्रारेड मैपिंग के साथ ड्रोन मिट्टी और फसल दोनों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी एकत्र कर करना आसान बनाते हैं। कीटनाशकों और अन्य रसायनों के अति प्रयोग को कम करने में ड्रोन विशेष रूप से प्रभावी साबित हुए हैं। रसायन वैसे तो फसल को बचाने में मदद करते हैं। लेकिन, रसायनों का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। ड्रोन कीटों के हमलों के सूक्ष्म संकेतों का पता लगा कर और हमले की डिग्री और सीमा के बारे में सटीक डेटा प्रदान करते हैं। इससे किसानों को उपयोग किए जाने वाले रसायनों की आवश्यक मात्रा की गणना करने में मदद मिलती है जो फसलों को नुकसान पहुंचाने से बचातें है। मौसम की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, पैटर्न में किसी भी बदलाव के लिए तैयार करना बेहद मुश्किल हो जाता है।

आगामी मौसम की स्थिति का पता लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है। बेहतर भविष्यवाणियां करने के लिए स्टॉर्म ड्रोन का पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस जानकारी का उपयोग किसान बेहतर तैयारी के लिए कर सकते हैं।

तूफान या बारिश की कमी की अग्रिम सूचना का उपयोग उस फसल की योजना बनाने के लिए किया जाता है जो मौसम के लिए सबसे उपयुक्त होगी, और बाद की अवस्था में रोपित फसलों की देखभाल कैसे करें। ड्रोन का उपयोग विशाल पशुधन की निगरानी और प्रबंधन के लिए भी किया जाता है क्योंकि उनके सेंसर में उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले इन्फ्रारेड कैमरे होते हैं, जो एक बीमार जानवर का पता लगा सकते हैं और उसके अनुसार तेजी से उपचार कर सकते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग ने की इंदौर और उज्जैन संभाग में चुनाव तैयारियों की समीक्षा

निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश

मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ाने के निर्देश

भोपाल : भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त श्री अजय भादू एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश श्री अनुपम राजन द्वारा आज इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर एवं उज्जैन संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों की बैठक में विधानसभा चुनाव-2023 की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में निर्देशित किया गया कि मतदाता सूची में डुप्लीकेशन ना हो। मृत लोगों के नाम सूची में ना रहें। जिन मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हों उनके ईपिक कार्ड वितरित किए जाएं। सभी रिटर्निंग आफिसर अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर लें और मतदान केंद्रों पर सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जिन मतदान केंद्रों में 1500 से अधिक मतदाता हैं ऐसे मतदान केंद्रों को मतदाता की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त किया जाए और नया मतदान केंद्र उसी परिसर में या निकटवर्ती भवन में बनाया जाए। मतदान केंद्र पर मतदान कराने के लिए आने वाले मतदान दल और सुरक्षाकर्मियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाये, जिससे उनका मतदान कराने में अच्छा अनुभव रहे।

बैठक में निर्देशित किया गया कि चुनाव कार्य में लगने वाले कर्मचारियों, 80 वर्ष से अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए बैलेट की तैयारी अच्छी तरह से की जाये। बीएलए को भी पता होना चाहिए कि किन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाना है। चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाये। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक पोस्ट या रि-पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने का काम ना कर सके। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर प्रतिबंधात्मक और जिला बदर की कार्यवाही की जाये। चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्री की रोकथाम के लिए जिले में और राज्य की सीमाओं में नाके लगाकर वाहनों की सख्ती से जांच की जाये। मदिरा के अवैध निर्माण और परिवहन पर सख्त कार्यवाही की जाये। फ्लाइंग स्कॉड और एसएसटी द्वारा मुस्तैदी से काम किया जाये।

बैठक में निर्देशित किया गया कि चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए बनाए गये सी-विजिल मोबाइल एप का व्यापक प्रचार किया जाए। वल्नरेबल क्षेत्र के मतदान केंद्रों में सुरक्षा के इंतजाम करने के साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये गए।

बैठक में शामिल सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों द्वारा अपने ज़िले में निर्वाचन के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी गई।

बैठक में निर्वाचन आयोग के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राकेश सिंह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा मध्यप्रदेश तथा राज्य पुलिस नोडल अधिकारी श्री अनुराग सहित इंदौर कमिश्नर श्री मालसिंह, उज्जैन कमिश्नर श्री संजय गोयल, उज्जैन आईजी श्री संतोष कुमार सिंह, पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री मकरंद देउस्कर, पुलिस महानिरीक्षक ग्रामीण श्री राकेश गुप्ता एवं इंदौर, बड़वानी, धार, खंडवा, झाबुआ, बुरहानपुर, अलीराजपुर, खरगोन, उज्जैन, नीमच, आगर मालवा, शाजापुर, देवास, मंदसौर, रतलाम जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।

कैसा हो हमारा स्मार्ट किसान और खेती

भोपाल। वर्तमान खेती के तरीकों से फसलों का लाभप्रद उत्पादन प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जैसे-प्राकृतिक प्रतिकूलता, कीट एवं रोग-व्याधियों का बढ़ता प्रकोप, कृषि उत्पादन की बढ़ती लागत, मूल्य प्राप्ति की दरों की अनिश्चितता आदि। इन सभी परिस्थितिजन्य समस्याओं एवं आपदा से निपटने के लिए खेती की वर्तमान परिस्थिति में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नए तरीके से खेती करने की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो गया है।

बदलते समय के साथ किसानों को और स्मार्ट होना पड़ेगा। उन्हें अपने खेत एवं खेती के तौर-तरीकों के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। स्मार्ट खेती के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि किसान अधिक तथा टिकाऊ उपज प्राप्त कर अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं। फसलचक्र एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित खेती करके, सिंचाई जल का समुचित उपयोग एवं जल संरक्षण की वैज्ञानिक विधियां, प्रक्षेत्र पर मिश्रित खेती और खाद्य प्रसंस्करण की वैज्ञानिक विधियों द्वारा जलवायु परिवर्तन आधारित टिकाऊ खेती की तकनीकों को अपनाकर परिवर्तन संभव है। ये सभी तकनीकियां मिलकर ही किसान की उपज तथा आय को सुदृढ़ कर सकती हैं। इनमें सबसे विश्वसनीय तथा नवीनतम भू-स्थानिक प्राद्योगिकियों का इस्तेमाल शामिल है। यह परिशुद्ध कृषि को बढ़ावा देती है। भौगोलिक सूचना तंत्र, सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति का एक सर्वाधुनिक तंत्र है और यह निर्णय सहायक तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह तंत्र, वायुवीय एवं अवायुवीय गणकों के समायोजन में सक्षम है, जिससे योजना तथा निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ये प्रौद्योगिकियां वास्तविक स्थिति डेटा संग्रह द्वारा सटीक स्थिति की जानकारी देने में सक्षम होती हैं। इस जानकारी से बड़ी मात्रा में भू-स्थानिक डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है। सटीक खेती में जीपीएस आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग खेत नियोजन, फील्ड मैपिंग, मृदा नमूनाकरण, ट्रैक्टर मार्गदर्शन, फसल स्काउटिंग, चर अनुपात अनुप्रयोगों और उपज मानचित्रण के लिए किया जा रहा है।

फसलचक्र एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित खेती

वर्तमान में कृषक लगातार एक ही फसल बहुत बड़े क्षेत्रफल में कई वर्षों से ले रहे हैं। ज्यादातर कृषक मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित संस्तुत तथा अपने खेत की मृदा उर्वरता के अनुसार फसलें नहीं बदलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। लगातार एक ही फसल लेने से उत्पादन एवं उत्पादकता में कमी, कीट व रोग-व्याधियों का बढ़ता प्रकोप, लगातार बढ़ती उत्पादन लागत, उत्पादन में भारी कमी, खेत की उर्वराशक्ति में ह्रास आदि कारणों से खेती, कृषकों को अपेक्षित लाभ प्रदान करने में असमर्थ सिद्ध हो रही है।

कृषकों द्वारा अंतरवर्ती खेती के अंतर्गत प्रत्येक सीजन में कम से कम पांच प्रकार की पफसलों का चयन करने से कीट रोगों का प्रकोप कम होगा। इससे लागत में कमी आएगी जैसे-खरीफ में सोयाबीन के अलावा मक्का, ज्वार, मूंगफली, सूरजमुखी, बाजरा, अरहर, उड़द, मूंग, फलदार बगीचे एवं उद्यानिकी फसलें लेना। रबी में गेहूं के अलावा मटर, मसूर, चना, सरसों, अलसी के साथ अंतरवर्ती खेती के अंतर्गत कुछ चयनित सब्जीवर्गीय उद्यानिकी फसलें भी ले सकते हैं। कृषकों को अपनी कुल जमीन को चार या पांच हिस्सों में बांटकर उचित फसलचक्र अपनाकर एक खेत में समान फसलचक्र को तीन या चार वर्ष बाद अपनाना चाहिए। इसके साथ ही एक निश्चित क्षेत्रफल में फलोद्यान एवं उद्यानिकी फसलें भी लगानी चाहिए।

ऐसा देखने में आ रहा है कि प्राकृतिक आपदा या कीट रोगों से एक फसल में अधिक नुकसान होता है तथा अन्य फसलों में कम नुकसान होता है। विगत कुछ वर्षों में अधिक एवं कम वर्षा से सोयाबीन फसल में ज्यादा क्षति किंतु ज्वार, मक्का फसल में कृषकों को अपनी कुल जमीन को चार या पांच हिस्सों में बांटकर उचित फसलचक्र अपनाकर एक खेत में समान फसलचक्र को तीन या चार वर्ष बाद अपनाना चाहिए। इसके साथ ही एक निश्चित क्षेत्रफल में फलोद्यान एवं उद्यानिकी फसलें भी लगानी चाहिए। क्षति नहीं हुई। इसके साथ ही फलोद्यान एवं उद्यानिकी फसलों में बराबर उत्पादन प्राप्त हो रहा है।

मृदा की बात करें तो प्रत्येक स्थान विशेष की मृदा भिन्न प्रकार की होती है जैसे-गहरी काली मृदा, जो धान फसल के लिए अच्छी है। इसी प्रकार हल्की एवं मुरम वाली मृदा, उद्यानिकी फसलों जैसे-अमरूद, सतंरा, अनार, आवंला, सुरजना एवं सब्जियों के लिए अच्छी मानी जाती है। दोमट ढलेदोर मृदा, दलहनी फसलों के लिये बेहतर मानी जाती है। खेत में लगातार एक ही फसल लेने से उत्पादन में असंतुलन हो जाता है। इससे मंडी मूल्य दरों में गिरावट आती है एवं कम क्षेत्र वाली फसलों की दरें एकदम बढ़ जाती हैं। यदि किसान के पास सभी प्रकार की फसलें होंगी तो उत्पादन में असंतुलन नहीं होगा व दरें भी नियंत्रित होंगी।

जलवायु परिवर्तन आधारित टिकाऊ खेती

यह देखने में आया है कि रेजबेड पद्धति से बुआई करने पर अधिक एवं कम वर्षा दोनों परिस्थितियों में फसल का बचाव होता है। चने में लगने वाला उकठा रोग रेजबेड पद्धति से पूर्णतः नियंत्रित हो जाता है, साथ ही प्रति हैक्टर उत्पादन बढ़ता है।

आधुनिक संरक्षित खेती जैसे-प्लास्टिक पलवार, पॉलीहाउस, शेड नेटहाउस में विपरीत परिस्थितियों एवं कम क्षेत्रफल में 10 गुना तक उत्पादन प्राप्त होता है। यहां मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से फसलों को बचाया जा सकता है और बेमौसम की फसलें उगाई जा सकती हैं। इजरायल जैसा देश इन तकनीकियों का उपयोग कर प्रति हैक्टर 3500 क्विंटल तक सब्जियों का उत्पादन प्राप्त कर रहा है।

वर्तमान में खेती बहुत खर्चीली हो गई है एवं प्राकृतिक आपदाओं से कृषकों को वर्ष दर वर्ष आर्थिक हानि होने का सामना करना पड़ रहा है। पारंपरिक रूप से होने वाली खेती में उत्पादन बढ़ने की संभावना नगण्य है। इन परिस्थितियों में कृषक अधिक एवं स्थाई आय प्राप्त करने के लिए अपने कुल रकबे में से कम से कम 20 प्रतिशत क्षेत्रफल में उच्च तकनीकी से उद्यानिकी (हाइटेक हार्टिकल्चर) फसलें लगाते हैं। इस प्रकार आर्थिक लाभ होने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि काफी हद तक कम की जा सकती है। इसके साथ ही उद्यानिकी फसलों के उत्पाद पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण देश में कुपोषण की समस्या को कम करके स्वस्थ जीवन संभव है व रोगों के प्रकोप से बचा जा सकता है।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर प्रेसीजन कृषि

आमतौर पर फसलों के नुकसान का मूल्यांकन अनुमान के आधार पर किया जाता है, जो प्रायः हकीकत से दूर होते हैं। वास्तविक आकलन के लिए बड़े पैमाने पर और जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण करने पड़ते हैं। इसमें बहुत अधिक समय, धन और श्रम लगता है। इसके बावजूद प्राप्त आंकड़े पूरी तरह से सटीक नहीं कहे जा सकते। इन सब समस्याओं का समाधान भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग द्वारा चित्रों के उपयोग से क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र के मूल्यांकन के तौर पर एक वैज्ञानिक विकल्प मिल गया है। अब कृषि बीमा कंपनियां और नीति निर्माता ओलावृष्टि और भारी बारिश सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान का सही आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग डाटा का उपयोग कर सकते हैं। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए यह एक सटीक तरीका साबित हो सकता है। यह तकनीक भारत सरकार के हाल ही में लाए गए फसल बीमा कार्यक्रम (प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना) के तहत खेतों के स्तर पर फसलों के नुकसान का आकलन करने में सहायक साबित हो सकती है। इसके लिए बहुत ज्यादा स्पष्ट दिखने वाले रिमोट सेसिंग चित्रों की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही फसल के नुकसान की मात्रा के निधार्रण के लिए रिमोट सेंसिंग सूचकांक आधारित मॉडल विकसित करने की भी जरूरत है।

जल संरक्षण की वैज्ञानिक विधियां

वर्तमान में कृषकों द्वारा पानी का बेतहाशा उपयोग किया जा रहा है, जिससे पानी की बर्बादी के साथ-साथ फसल उत्पादन में कमी हो रही है। कीटों व रोगों का बढ़ता प्रकोप और साथ ही गैर मापन आधारित ज्यादा पानी के सिंचाई क्षेत्र में उपयोग से जलाशय क्षेत्र में मृदा के अधिक अम्लीय/क्षारीय होने की आशंका बढ़ रही है।

सिंचाई की उन्नत विधियां जैसे-स्प्रिंक्लर (बौछारी) एवं ड्रिप (टपक) सिंचाई पद्धतियों से फसलों की अवस्था एवं मांग के अनुसार सिंचाई पानी की बचत करते हुए ज्यादा क्षेत्र में की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कमांड क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। सिंचाई जल के समुचित उपयोग से फसलों पर कीटों एवं रोगों से होने वाले प्रकोप से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा जमीन को अधिक क्षारीय एवं अम्लीय होने से सुरक्षा रखा जा सकता है। हमारे सामने इजरायल का स्पष्ट उदाहरण है, जो कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहा है।

वर्तमान में कृषक असंतुलित रूप से उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, जो खेती एवं मानव के लिए बहुत ही घातक है। पंजाब का उदाहरण है, जहां खेती करना असंभव होता जा रहा है। इस प्रकार से लगातार रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से कृषि उत्पादकता में गिरावट हो रही है, जो कि चिंताजनक है। कृषक अपने सुविधाजनक तरीकों से रसायनों का उपयोग कर रहे हैं। इससे खेती की लागत बढ़ने के साथ-साथ भूमि की उत्पादकता नष्ट हो रही है। इसके अतिरिक्त भूमि में आवश्यक जीवांश पदार्थों की मात्रा घटती जा रही है। अतः किसानों को वर्मीकम्पोस्ट, फसल अवशेष एवं पलवार से मृदा की पोषकता में अपेक्षित सुधार पर जोर देना चाहिए।

मिश्रित खेती और खाद्य प्रसंस्करण

प्रत्येक किसान को 10 बीघा जमीन पर कम से कम चार दुधारू पशु पालने से दुग्ध उत्पादन बढ़ने के साथ ही खेत के लिए आवश्यक जैविक खाद की प्राप्ति भी होगी। यह खाद उसकी खेती के लिए काम आएगी। खाद एवं उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने से उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। प्रक्षेत्र में बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए ऊर्जा के नवीन स्रोतों सूर्य प्रकाश या पवन चक्की का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृषि उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन एवं विपणन की सही व्यवस्था करके इसके अभाव में नष्ट होने वाले लगभग 40 प्रतिशत उत्पादन को बचाया जा सकता है। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, उचित ट्रांसपोर्ट, ग्रेडिंग-पैकिंग की सही व्यवस्था आदि के साथ विपणन एवं भंडारण करना स्वयं कृषकों का दायित्व है। कृषि उत्पादों की सही ग्रेडिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट करने पर लगभग 40 प्रतिशत हानि को बचाया जा सकता है। इसका स्पष्ट उदाहरण है केवल प्लास्टिक क्रेट के उपयोग से ही वर्तमान में फल, सब्जियों को दूरस्थ मार्केट में

(शेष पृष्ठ 6 पर)

पशुपालन

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का विशेष महत्व है। सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28-30 प्रतिशत का योगदान सराहनीय है जिसमें दुग्ध एक ऐसा उत्पाद है जिसका योगदान सर्वाधिक है। भारत में विश्व की कुल संख्या का 15 प्रतिशत गायें एवं 55 प्रतिशत भेड़ है और देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 53 प्रतिशत भैंसों व 43 प्रतिशत गायों और 3 प्रतिशत बकरियों से प्राप्त होता है। भारत लगभग 121.8 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन करके विश्व में प्रथम स्थान पर है जो कि एक मिसाल है और उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी है। यह उपलब्धि पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं ; जैसे- मवेशियों की नस्ल, पालन-पोषण, स्वास्थ्य एवं आवास प्रबंधन इत्यादि में किए गये अनुसंधान एवं उसके प्रचार-प्रसार का परिणाम है। लेकिन आज भी कुछ अन्य देशों की तुलना में हमारे पशुओं का दुग्ध उत्पादन अत्यन्त कम है और इस दिशा में सुधार की बहुत संभावनायें है।

छोटे, भूमिहीन तथा सीमान्त किसान जिनके पास फसल उगाने एवं बड़े पशु पालने के अवसर सीमित है, छोटे पशुओं जैसे भेड़-बकरियाँ, सूकर एवं मुर्गीपालन रोजी-रोटी का साधन व गरीबी से निपटने का आधार है। विश्व में हमारा स्थान बकरियों की संख्या में दूसरा, भेड़ों की संख्या में तीसरा एवं कुक्कुट संख्या में सातवाँ है। कम खर्चे में, कम स्थान एवं कम मेहनत से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए छोटे पशुओं का अहम योगदान है। अगर इनसे सम्बंधित उपलब्ध नवीनतम तकनीकियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय तो निःसंदेह ये छोटे पशु गरीबों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। छोटे व सीमांत किसानों के पास कुल कृषि भूमि की 30 प्रतिशत जोत है। इसमें 70 प्रतिशत कृषक पशुपालन व्यवसाय से जुड़े है जिनके पास कुल पशुधन का 80 प्रतिशत भाग मौजूद है। स्पष्ट है कि देश का अधिकांश पशुधन, आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के पास है। भारत में लगभग 19.91 करोड़ गाय, 10.53 करोड़ भैंस, 14.55 करोड़ बकरी, 7.61 करोड़ भेड़, 1.11 करोड़ सूकर तथा 68.88 करोड़ मुर्गी का पालन किया जा रहा है। भारत 121.8 मिलियन टन दुग्धउत्पादन के साथ विश्व में प्रथम, अण्डा उत्पादन में 53200 करोड़ के साथ विश्व में तृतीय तथा मांस उत्पादन में सातवें स्थान पर है। यही कारण है कि कृषि क्षेत्र में जहाँ हम मात्र 1-2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर रहे हैं वहीं पशुपालन से 4-5 प्रतिशत। इस तरह पशुपालन व्यवसाय में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने की अपार सम्भावनायें हैं।

पशुपालन कार्य

अप्रैल (चैत्र)

1. खुरपका-मुँहपका रोग से बचाव का टीका लगवायें।
2. जायद के हरे चारे की बुआई करें, बरसीम चारा बीज उत्पादन हेतु कटाई कार्य करें।
3. अधिक आय के लिए स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करें।
4. अन्तः एवं बाह्य परजीवी का बचाव दवा स्नान/दवा पान से करें।
5. खान-पान में शुध्दता का ध्यान रखें।

मई (बैशाख)

1. गलाघोंटू तथा लंगड़िया बुखार का टीका सभी पशुओं में लगवायें।
2. पशुओं को हरा चारा पर्याप्त मात्रा में खिलायें।
3. पशु को स्वच्छ पानी पिलायें।
4. पशु को सुबह एवं सायं नहलायें।
5. पशु को लू एवं गर्मी से बचाने की व्यवस्था करें।
6. परजीवी से बचाव हेतु पशुओं में उपचार करायें।
7. बांझपन की चिकित्सा करवायें तथा गर्भ परीक्षण करायें।
8. खान-पान में शुध्दता का ध्यान रखें।

जून (जेठ)

1. गलाघोंटू तथा लंगड़िया बुखार का टीका आवश्यक रूप से पशुओं में लगवायें।
2. पशु को लू से बचायें।
3. हरा चारा पर्याप्त मात्रा में दें।
4. परजीवी निवारण हेतु दवा पशुओं को पिलवायें।
5. खरीफ के चारे मक्का, लोबिया के लिए खेत की तैयारी करें।
6. बांझ पशुओं का उपचार करायें।
7. सूखे खेत की चरी न खिलायें अन्यथा जहर वाद का डर रहेगा।
8. खान-पान में शुध्दता का ध्यान रखें।

जुलाई (आषाढ़)

1. गलाघोंटू तथा लंगड़िया बुखार का टीका शेष पशुओं में लगवायें।
2. खरीफ चारा की बुआई करें तथा जानकारी प्राप्त करें।
3. पशुओं को अन्तः कृमि की दवा पान करायें।
4. वर्षा ऋतु में पशुओं के रहने की उचित व्यवस्था करें।
5. ब्रायलर पालन करें, आर्थिक आय बढ़ायें।
6. पशु दुहान के समय खाने को चारा डाल दें।
7. पशुओं को खड़िया का सेवन करायें।
8. कृत्रिम गर्भाधान अपनायें।
9. खान-पान में शुध्दता का ध्यान रखें।

अगस्त (सावन)

1. नये आये पशुओं तथा अवशेष पशुओं में गलाघोंटू तथा लंगड़िया बुखार का टीकाकरण करवायें।
2. लिवर फ्लूक के लिए दवा पान करायें।
3. गर्भित पशुओं की उचित देखभाल करें।
4. ब्याये पशुओं को अजवाइन, सोंठ तथा गुड़ खिलायें। देख लें कि जेर निकल गया है।
5. जेर न निकलनें पर पशु चिकित्सक से सम्पर्क करें।
6. भेड़/बकरियों को परजीवी की दवा अवश्य पिलायें।
7. खान-पान में शुध्दता का ध्यान रखें।

सितम्बर (भादौ)

1. उत्पन्न संतति को खीस (कोलेस्ट्रम) अवश्य पिलायें।
2. अवशेष पशुओं में एच.एस. तथा बी.क्यू. का टीका लगवायें।
3. मुँहपका तथा खुरपका का टीका लगवायें।
4. पशुओं की डिवर्मिंग करायें।
5. भैंसों के नवजात शिशुओं का विशेष ध्यान रखें।
6. ब्याये पशुओं को खड़िया पिलायें।
7. गर्भ परीक्षण एवं कृत्रिम गर्भाधान करायें।
8. तालाब में पशुओं को न जाने दें।
9. दुग्ध में छिछड़े आने पर थनैला रोग की जाँच अस्पताल पर करायें।
10. खीस पिलाकर रोग निरोधी क्षमता बढ़ावें।
11. खान-पान में शुध्दता का ध्यान रखें।

अक्टूबर (क्वार/आश्विन)

1. खुरपका-मुँहपका का टीका अवश्य लगवायें।
2. बरसीम एवं रिजका के खेत की तैयारी एवं बुआई करें।
3. निम्न गुणवत्ता के पशुओं का बधियाकरण करवायें।
4. उत्पन्न संततियों की उचित देखभाल करें
5. स्वच्छ जल पशुओं को पिलायें।
6. दुहान से पूर्व अयन को धोयें।
7. खान-पान में शुध्दता का ध्यान रखें।

नवम्बर (कार्तिक)

1. खुरपका-मुँहपका का टीका अवश्य लगवायें।
2. कृमिनाषक दवा का सेवन करायें।
3. पशुओं को संतुलित आहार दें।
4. बरसीम तथा जई अवश्य बोयें।
5. लवण मिश्रण खिलायें।
6. थनैला रोग होने पर उपचार करायें।
7. खान-पान में शुध्दता का ध्यान रखें।

दिसम्बर (अगहन/मार्गशीर्ष)

1. पशुओं का ठंड से बचाव करें, परन्तु झूल डालने के बाद आग से दूर रखें।
2. बरसीम की कटाई करें।
3. वयस्क तथा बच्चों को पेट के कीड़ों की दवा पिलायें।
4. खुरपका-मुँहपका रोग का टीका लगवायें।
5. सूकर में स्वाईन फीवर का टीका अवश्य लगायें।
6. खान-पान में शुध्दता का ध्यान रखें।

जनवरी (पौष)

1. पशुओं का शीत से बचाव करें।
2. खुरपका-मुँहपका का टीका लगवायें।
3. उत्पन्न संतति का विशेष ध्यान रखें।
4. बाह्य परजीवी से बचाव के लिए दवा स्नान करायें।
5. दुहान से पहले अयन को गुनगुने पानी से धो लें।
6. खान-पान में शुध्दता का ध्यान रखें।

फरवरी (माघ)

1. खुरपका-मुँहपका का टीका लगवाकर पशुओं को सुरक्षितकरें।
2. जिन पशुओं में जुलाई अगस्त में टीका लग चुका है, उन्हें पुनः टीके लगवायें।
3. बाह्य परजीवी तथा अन्तः परजीवी की दवा पिलवायें।
4. कृत्रिम गर्भाधान करायें।
5. बांझपन की चिकित्सा एवं गर् परीक्षण करायें।
6. बरसीम का बीज तैयार करें।
7. पशुओं को ठण्ड से बचाव का प्रबन्ध करें।
8. खान-पान में शुध्दता का ध्यान रखें।

मार्च (फागुन)

1. पशुशाला की सफाई व पुताई करायें।
2. बधियाकरण करायें।
3. खेत में चरी, सूडान तथा लोबिया की बुआई करें।
4. मौसम में परिवर्तन से पशु का बचाव करें
5. खान-पान में शुध्दता का ध्यान रखें।

वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के अंतर्गत एक दिवसीय सेमीनार/कार्यशाला

पिपरिया। वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के अंतर्गत एक दिवसीय सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के द्वारा पिपरिया जिला– नर्मदापुरम में किया गया। यह कार्यक्रम कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा प्रायोजित था। इस कार्यक्रम में कार्यालय विकास विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) इंदौर के प्रतिनिधि के रूप में श्री प्रिंस कुमार, एसएचओ, विशेषज्ञ संस्था सीड के श्री मनीष राजपूत, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल से श्री विनोद कुमार कुशवाहा (पर्यवेक्षक) उद्यमिता विषय विशेषज्ञ श्री धर्मेन्द्र मिश्रा, मास्टर ट्रेनर क्राफ्ट श्रीमति रूक्मणी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

श्री विनोद कुमार कुशवाहा ने सहकारिता के महत्व, समिति के लाभ तथा समिति गठन की प्रक्रिया एवं महिला जागरूकता के संबंध में विस्तार पूवर्क जानकारी प्रदान की गई। श्री धर्मेन्द्र मिश्रा ने हस्तशिल्प में कौशल विकसित करने, गरीब ग्रामीणों की आजिविका को बढावा देना, जी.एस.टी., विपणन प्रक्रिया, सफल उद्यमी के गुण, हस्तशिल्प को उद्योग से किस प्रकार जोड़ा जाए जिससे महिलाओं की आय में वृद्वि हो सके आदि विषय पर मार्गदर्शन प्रदान किया। मास्टर ट्रेनर श्रीमति रूक्मणी जी द्वारा क्राफ्ट डिजाइन एवं कढाई के उत्पाद तैयार करने एवं तकनीकी जानकारी प्रदान की। श्री प्रिंस कुमार, (एसएचओ) ने सीएचसीडीएस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की।

सीएचसीडीएस योजनांतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

CHCDS योजना अंतर्गत एक दिवसीय सेमिनार/कार्यशाला।

CHCDS योजना अंतर्गत एक दिवसीय सेमिनार/कार्यशाला।

DS योजना अंतर्गत एक दिवसीय/कार्यशाला।

CHCDS योजना अंतर्गत एक दिवसीय सेमिनार/कार्यशाला

इंदौर। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा आयोजित एवं वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित वृहद हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (CHCDS) अंतर्गत दिनाँक 05/10/2023 को 50 महिला प्रतिभागियों हेतु एक दिवसीय सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन इंदौर में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती अर्पणा देशमुख (सहायक निदेशक, DCH, इंदौर), श्री प्रिंस कुमार (HPO, DCH, इंदौर), श्रीमती हेमल कामत (Marketing & EDP Expert) उपस्थित रहे। एक दिवसीय कार्यशाला में वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित नवीन हस्तशिल्प योजनाओं की जानकारी, जी.एस.टी., विपणन कलां कौशल, सफल व्यवसायी के गुण, सहकारिता से समृद्धि, महिला उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण, बैंकिंग के क्षेत्र में जागरूकता इत्यादि विषयों पर भी प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर के प्राचार्य श्री दिलीप मरमट, सीड संस्था समन्वयक श्री माखन सिंह, श्री शफ़ीक़ ख़ान, श्री अरुण भार्गव, ज़िला सहकारी प्रशिक्षक श्री सुयश शर्मा, श्री प्रदीप रैकवार, श्री राहुल श्रीवास, AU Small Finance Bank, इंदौर से रिलेशनशिप मैनेजर श्री अभिषेक जैन, श्री अतुल भावसार, इस कार्यशाला में उपस्थित रहें।

सोयाबीन कृषकों के लिए उपयोगी सलाह

इंदौर : भा.कृ.अनु.प. - भारतीय सोयाबीन अनुसन्धान संस्थान, इंदौर द्वारा 9-15 अक्टूबर 2023 की अवधि की सोयाबीन कृषकों को इस सत्र की अंतिम उपयोगी सलाह दी है, जो इस प्रकार है –

1 सोयाबीन की 90% फलियों का रंग पीला पड़ने पर फसल की तुरंत कटाई करनी चाहिए। इससे बीज के अंकुरण में विपरीत प्रभाव नहीं होता।

2 उचित समय पर फसल की कटाई करने से फलियों के चटकने से होने वाले नुकसान या बीज की गुणवत्ता में आने वाली कमी से बचा जा सकता है।

3 सोयाबीन की कटी हुई फसल को धूप में सुखाने के पश्चात गहाई करें। तुरंत गहाई करना संभव नहीं होने पर कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा करें।

4 आगामी वर्ष बीज के रूप में उपयोगी सोयाबीन की फसल की गहाई 350 से 400 आर.पी.एम. पर करें जिससे बीज की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।

5 भण्डार गृह ठंडा, हवादार, कीट व नमी रहित होना चाहिये। यदि संभव हो, भण्डारण गृह में लकड़ी के प्लेटफॉर्म बनाकर सोयाबीन के बोरों को खड़ा रखें। यदि बोरियों की थप्पी लगाकर भण्डारण करना हो,तो यह ध्यान रखें कि 3-4 बोरियों से अधिक या 5 फ़ीट की ऊंचाई तक ही थप्पियाँ लगाएं, जिससे सोयाबीन का अंकुरण प्रभावित न हो।

6 भंडारण करते समय सोयाबीन के बोरों को प्लेटफार्म पर सावधानीपूर्वक रखें एवं ऊंचाई से नही पटकें। भण्डार गृह की दीवार में नमी आने पर सोयाबीन बीज को फफूंद/रोगों के संक्रमण से बचाने हेतु यह भी ध्यान रखें कि बोरे दीवार से सीधे संपर्क में ना हो।

जन सुनवाई स्थगित रहेगी

भोपाल : प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। अत: इस दौरान जन सुनवाई स्थगित रहेगी। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(पृष्ठ 4 का शेष)

कैसा हो हमारा स्मार्ट किसान और खेती.....

भेजना संभव हुआ है। इस प्रकार ट्रांसपोर्ट में भेजने से होने वाली हानि कम हुई है। उच्च गुणवत्ता की ग्रेडिंग एवं पैकिंग कर हानि को कम किया जा सकता है। उद्यानिकी उत्पादों की विदेशों में मांग अधिक होने के कारण सीधे प्रसंस्करण कर विदेशों में निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन आधारित टिकाऊ खेती

यह देखने में आया है कि रेजबेड पद्धति से बुआई करने पर अधिक एवं कम वर्षा दोनों परिस्थितियों में फसल का बचाव होता है। चने में लगने वाला उकठा रोग रेजबेड पद्धति से पूर्णतः नियंत्रित हो जाता है, साथ ही प्रति हैक्टर उत्पादन बढ़ता है।

आधुनिक संरक्षित खेती जैसे- प्लास्टिक पलवार, पॉलीहाउस, शेड नेटहाउस में विपरीत परिस्थितियों एवं कम क्षेत्रफल में 10 गुना तक उत्पादन प्राप्त होता है। यहां मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से फसलों को बचाया जा सकता है और बेमौसम की फसलें उगाई जा सकती हैं। इजरायल जैसा देश इन तकनीकियों का उपयोग कर प्रति हैक्टर 3500 क्विंटल तक सब्जियों का उत्पादन प्राप्त कर रहा है।

वर्तमान में खेती बहुत खर्चीली हो गई है एवं प्राकृतिक आपदाओं से कृषकों को वर्ष दर वर्ष आर्थिक हानि होने का सामना करना पड़ रहा है। पारंपरिक रूप से होने वाली खेती में उत्पादन बढ़ने की संभावना नगण्य है। इन परिस्थितियों में कृषक अधिक एवं स्थाई आय प्राप्त करने के लिए अपने कुल रकबे में से कम से कम 20 प्रतिशत क्षेत्रफल में उच्च तकनीकी से उद्यानिकी (हाइटेक हार्टिकल्चर) फसलें लगाते हैं। इस प्रकार आर्थिक लाभ होने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि काफी हद तक कम की जा सकती है। इसके साथ ही उद्यानिकी फसलों के उत्पाद पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण देश में कुपोषण की समस्या को कम करके स्वस्थ जीवन संभव है व रोगों के प्रकोप से बचा जा सकता है।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर प्रेसीजन कृषि

आमतौर पर फसलों के नुकसान का मूल्यांकन अनुमान के आधार पर किया जाता है, जो प्रायः हकीकत से दूर होते हैं। वास्तविक आकलन के लिए बड़े पैमाने पर और जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण करने पड़ते हैं। इसमें बहुत अधिक समय, धन और श्रम लगता है। इसके बावजूद प्राप्त आंकड़े पूरी तरह से सटीक नहीं कहे जा सकते। इन सब समस्याओं का समाधान भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग द्वारा चित्रों के उपयोग से क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र के मूल्यांकन के तौर पर एक वैज्ञानिक विकल्प मिल गया है। अब कृषि बीमा कंपनियां और नीति निर्माता ओलावृष्टि और भारी बारिश सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान का सही आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग डाटा का उपयोग कर सकते हैं। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए यह एक सटीक तरीका साबित हो सकता है। यह तकनीक भारत सरकार के हाल ही में लाए गए फसल बीमा कार्यक्रम (प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना) के तहत खेतों के स्तर पर फसलों के नुकसान का आकलन करने में सहायक साबित हो सकती है। इसके लिए बहुत ज्यादा स्पष्ट दिखने वाले रिमोट सेसिंग चित्रों की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही फसल के नुकसान की मात्रा के निर्धारण के लिए रिमोट सेंसिंग सूचकांक आधारित मॉडल विकसित करने की भी जरूरत है।

जल संरक्षण की वैज्ञानिक विधियां

वर्तमान में कृषकों द्वारा पानी का बेतहाशा उपयोग किया जा रहा है, जिससे पानी की बर्बादी के साथ-साथ फसल उत्पादन में कमी हो रही है। कीटों व रोगों का बढ़ता प्रकोप और साथ ही गैर मापन आधारित ज्यादा पानी के सिंचाई क्षेत्र में उपयोग से जलाशय क्षेत्र में मृदा के अधिक अम्लीय/क्षारीय होने की आशंका बढ़ रही है।

सीएचसीडीएस वृहद हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना कार्यशाला का आयोजन

छतरपुर। वृहद हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना योजना अंतर्गत दिनांक 05 अक्टूबर 2023 को नौगांव में एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका चेयरमैन श्री अनूप तिवारी जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर फूलमालाएं अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। श्री आशुतोष गुप्ता महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र छतरपुर ने उद्योग, स्वरोजगार एवं रोजगार से संबंधित जानकारी प्रदान की, श्री प्रकाश गरहटे निदेशक एसबीआई आरसेटी नौगांव ने शिल्पकारो स्वरोजगार प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। श्री विकास कुमार, एचपीईओ, वस्त्र मंत्रालय, ग्वालियर ने वस्त्र मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी साझा की, राज्य संघ से क्लस्टर पर्यवेक्षक श्री हृदेश कुमार राय ने बताया कि सीएचसीडीएस वृहद कलस्टर विकास योजना का उद्देश्य गांव एवं शहर की महिलाओ को आर्थिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है। म. प्र. राज्य सहकारी संघ भोपाल के सहयोग से सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव में सामान्य सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है जो कि बुन्देलखण्ड की महिलाओं के लिए नौगांव सामान्य सुविधा केंद्र की एक बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर श्री राजाराम कुशवाहा फैकल्टी एसबीआई आरसेटी नौगांव, श्री अजय कुमार एलडीसी वस्त्र मंत्रालय ग्वालियर, श्री मनीष सिंह राजपूत क्लस्टर समन्वयक भोपाल, श्री अवतार सिंह कलस्टर समन्वयक भोपाल, श्री बाबूलाल कुशवाहा जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक, श्री खूबचंद नाई प्रभारी लिपिक नौगांव, श्री मातादीन आर्य समन्वयक कलस्टर नौगांव, श्रीमती शीला रैकवार कलस्टर समन्वयक नौगांव सहित शिल्पकार महिलाएं व गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सेवा सहकारी समिति पीवड़ाय् में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

इंदौर। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र इंदौर द्वारा दिनांक 29/09/2023 को ग्राम पीवड़ाय् तहसील खुड़ैल जिला इंदौर में एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया| प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला सहकारी प्रशिक्षक द्वारा सहकारिता में नवाचार, सिद्धांत, मूल्य, सदस्यों के अधिकारों एवं कर्तव्यों, नवीन सहकारी नीतियों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रबंधक श्री सुभाष मांडलोई ने समिति के कार्यों की विस्तागरपूर्वक जानकारी प्रदान की एवं कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)
(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का संगठन)
NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL EXTENSION MANAGEMENT
(An Organization of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Govt. of India)

Nodal Training Institute (NTI)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल
(M.P. State Cooperative Union Ltd. Bhopal)
E-8/77 Trilanga Road, Shahpura Bhopal -462039

Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers (DAESI)
डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स (देसी)
"इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा" (देसी)

शीघ्र आयें प्रवेश पायें

उद्देश्य : इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चरल इनपुट्स डीलर्स को पैरा–एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स में बदलना है। जिससे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सिस्टम को मजबूत किया जा सके। इससे इनपुट डीलर्स को किसानों की बेहतर सेवा करने में मदद मिलेगी जिससे :–

- इनपुट के कुशल संचालन में इनपुट डीलरों की क्षमता का निर्माण।
- कृषि आदानों के विनियमन को नियंत्रित करने वाले कानूनों के बारे में ज्ञान प्रदान करना।
- किसानों के लिए इनपुट डीलरों को ग्रामीण स्तर पर कृषि संबंधी जानकारी का एक प्रभावी स्त्रोत (वन स्टॉप शॉप) बनाना।

एग्रीकल्चर में डिप्लोमा कोर्स क्यों करें?

- एग्रीकल्चरल डिप्लोमा एग्रीकल्चर या जैविक प्रक्रिया से संबंधित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी स्तर पर मानव संसाधन का विकास कर एग्रीकल्चर उद्योग की प्रगति करना है।
- इस कोर्स में किसी भी एग्रीकल्चर उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के कौशल को बढ़ाया जाता है।
- एग्रीकल्चर में डिप्लोमा कोर्स के साथ छात्र 10वीं के बाद से ही अपने प्रारंभिक करियर की शुरुआत कर सकते हैं।
- इस कोर्स के जरिए एग्रीकल्चर उद्योग में आवश्यक कौशल सीखने से अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने में मदद मिलेगी क्योंकि गुणवत्ता वाले उत्पादों की मांग अधिक है।
- कृषि डिप्लोमा कोर्स छात्रों के सामने करियर के विभिन्न अवसर खोलता है। बड़ी–बड़ी नामी कम्पनियां जैसे–ITC, Britannia, Godrej आदि डिप्लोमा छात्रों को इंटर्नशिप भी ऑफर करती हैं।
- ग्रामीण रोजगारोन्मुखी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण स्तर पर बीज, खाद, कीटनाशक या दवाई की दुकान के लाइसेंस की आवश्यकता होती है। वर्तमान में लाइसेंस लेने के लिए युवक–युवतियों को परेशानी न हो इसके लिए राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल, आत्मा एवं म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल के सहयोग से देसी कोर्स की शुरूआत की गयी है।

इन विषयों पर मिलेगा प्रशिक्षण :–

सैद्धांतिक प्रशिक्षण के अंतर्गतः–

क्र	विषय
1.	मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन।
2	वर्षा आधारित खेती।
3.	बीज एवं बीज उत्पादन।
4	सिंचाई तकनीक एवं उनका प्रबंधन।
5	खरपतवार प्रबंधन।
6	कृषि उपकरण और मशीनरी की जानकारी।
7	कृषि में कीट एवं रोग नियंत्रण।
8	प्रमुख स्थानीय फसलों की फसल उत्पादन तकनीक।
9	कृषि आदानों से संबंधित अधिनियम, नियम एवं विनियम।
10	कृषि क्षेत्र से संबंधित शासन की विभिन्न योजनाएं एवं कृषि प्रसार तकनीक।
11	विस्तार दृष्टिकोण और तरीके।
12	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
13	फसल बीमा योजना।
14	बीज, कीट व मण्डी अधिनियम।
15	उर्वरक अधिनियम।

व्यावहारिक प्रशिक्षण के अंतर्गतः– व्यावहारिक प्रशिक्षण वर्ग के अंतर्गत कृषि से संबंधित संस्थान जैसे – कृषि विज्ञान केन्द्र, मृदा जांच प्रयोगशाला, कृषि महाविद्यालय/ कृषि विश्वविद्यालय, उद्यानकीय महाविद्यालय, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं प्रगतिशील किसानों के प्रक्षेत्र पर प्रशिक्षणार्थियों को एक्सपोजर विजिट कराया जावेगा।

अवधि – 01 वर्ष

यह कार्यक्रम 48 सप्ताह की अवधि का है जिसमें 40 कक्षा सत्र एवं 08 फील्ड विजिट है।

यह कोर्स सप्ताह में एक दिन (सरकारी अवकाश के दिन) आयोजित किया जाता है।

पाठ्यक्रम शुल्क–

देसी डी.डी. : "Diploma In Agriculture Extension Services For Input Dealers, Bhopal" के नाम की डी.डी. राशि रु. राशि रू. 20,000/–

शैक्षणिक योग्यता–10 वीं उत्तीर्ण से लेकर डिग्रीधारक तक।

कुल सीट – 40

आवश्यक दस्तावेज

- 10 वी उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र
- 12वी उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र
- स्नातक उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र
- स्नातकोत्तर उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- दो पासपोर्ट साईज फोटो
- वैध लाईसेंस की प्रति (यदि आप कृषि इनपुट डीलर के रूप में काम कर रहे हैं)

कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए संपर्क सूत्र–

07554034839, 9826821281, 9826876158, 8770995805
Website- www.mpscu.in, www.mpscuonline.in
Email : rajyasangh@yahoo.co.in

सहकारिता नीति 2023 एवं बी-पैक्स प्रावधान व उनके क्रियान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन की सहकारिता नीति 2023 एवं बी–पैक्स प्रावधान व उनके क्रियान्वयन हेतु एक–एक दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन श्री उमाकांत उमराव (आई.ए.एस.) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन के मार्गदर्शन एवं श्री आलोक कुमार सिंह, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. के निर्देशानुसार म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल मुख्यालय में दिनांक 06.10.2023 एवं 10.10.2023 को आयोजित किया गया है जिसमें मध्यप्रदेश के कुल 48 संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं 18 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व अपेक्स बैंक भोपाल के अधिकारियों ने भाग लिया।

श्री आलोक कुमार सिंह आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक ने अपने उद्बोधन में कहा कि, शासन की मंशानुसार सहकारी नीति 2023 का पालन करते हुए पैक्स को बहुउद्देशीय पैक्स बनाने व प्रत्येक पंचायत स्तर पर पैक्स के गठन, राज्य मे नवाचार के तहत निर्धारित नये क्षेत्रों मे पैक्सों का गठन किया जाए जिससे अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर नये रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकें एवं उन्होंने प्रत्येक जिलों मे दो से तीन पैक्स को मॉडल पैक्स के रूप मे विकसित करने हेतु निर्देशित किया।

श्री पी.एस. तिवारी, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक, भोपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता व आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक के निर्देशानुसार राजस्थान की मॉडल पैक्स के अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा गया था जिससे म.प्र. में भी मॉडल पैक्स तैयार किये जा सकें। अध्ययन भ्रमण के दौरान राजस्थान पैक्स के उत्कृष्ट कार्यों, नवाचार एवं उनके द्वारा संचालित की जा रहीं आर्थिक गतिविधियों को प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकारियों के साथ साझा किया और उनसे प्रेरणा लेकर म.प्र. में भी ऐसी उत्कृष्ट मॉडल पैक्स बनाने के लिए सभी को प्रेरित किया।

सहकारी नीति एवं बी–पैक्स प्रावधान के तहत आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशाला की रूपरेखा श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक राज्य सहकारी संघ द्वारा रखी गई। कार्यशाला में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बी–पैक्स पर जारी दिशा–निर्देशों, बहुउद्देशीय पैक्स के क्रियान्वयन मे राज्य सहकारी बैंक द्वारा किये जा रहे प्रयासों, जिला स्तर पर बहुउद्देशीय पैक्स के क्रियान्वयन, पैक्स बहुउद्देशीय के क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाईयां, बी–पैक्स के प्रमुख प्रावधान एवं पैक्स के पुराने उपविधि में प्रमुख अंतर, सहकारी नीति का क्रियान्वयन एवं व्यवहारिक कठिनाईयां, सहकारी नीति के क्रियान्वयन से भावी सहकारिताओं का अभ्युदय, जिला स्तर पर सहकारी नीति का क्रियान्वयन कैसे किया जाना चाहिए, म.प्र. की सहकारिता नीति 2023 के प्रमुख प्रावधान, म.प्र. की सहकारी नीति 2023 के क्रियान्वयन हेतु एक्शन प्लान, मध्यप्रदेश सहकारी नीति 2023 का क्रियान्वयन, प्रमुख क्षेत्रों मे जैसे– कृषि साख, शहरी साख, सहकारी विपणन, आवास, उपभोक्ता, बीज उत्पादन, डेयरी, मत्स्य एवं लघु वनोपज आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञ श्री मनोज सिंहा उप–सचिव सहकारिता म.प्र. शासन, श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी संघ, श्री श्रीकुमार जोशी से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता, श्री आर.एस.विश्वकर्मा, उपायुक्त साख मुख्यालय, श्री पी.के. एस. परिहार से.नि. प्रबंधक, अपेक्स बैंक, श्री अविनाश सिंह से.नि. वरि. सहकारी निरीक्षक द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। उक्त कार्यक्रम मे उपस्थित होने के लिए अधिकारियों व विषय विशेषज्ञों का आभार प्रर्दशन संतोष येडे, राज्य समन्वयक, राज्य संघ द्वारा किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम मे श्री गणेश प्रसाद मांझी, प्राचार्य, श्री ए.के.जोशी, पूर्व प्राचार्य, श्रीमति रेखा पिप्पल, व्याख्याता, श्रीमति मीनाक्षी बान, कम्प्यूटर व्याख्याता, श्री धनराज सैंढाणे, श्री प्रवीण कुशवाहा, श्री विनोद कुशवाहा, श्री मो.शाहिद खांन एवं विक्रम मुजुमदार का विशेष सहयोग रहा।

सेवा सहकारी समिति बावल्याखुर्द में एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन"

इंदौर। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र इंदौर द्वारा ग्राम बावल्याखुर्द तहसील खुड़ैल जिला इंदौर में दिनांक 25/09/2023 को एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया| प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहकारी प्रशिक्षक द्वारा सहकारिता सिद्धांत, मूल्य, सदस्यों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के समापन पर प्रबंधक श्री मुस्तफा खान द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

"सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, धन्नड़ में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

इंदौर। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर द्वारा दिनाँक 27/09/2023 को सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, धन्नड़, ज़िला-इंदौर में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में समिति प्रबंधक श्री त्रिलोकचंद्र परमार, सहायक प्रबंधक श्री गौरीशंकर पटेल, कंप्यूटर ऑपरेटर श्री जगदीश यादव, श्री अनिल व्यास, सेल्समैन एवं समस्त सम्माननीय सदस्य एवं कृषक उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहकारिता की पृष्ठभूमि, सहकारिता सिद्धांत एवं सहकारिता की नई नीतियों से अवगत कराया गया। सहकारी समिति के बहुउद्देश्यीय बनने के लाभों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के समापन पर समिति प्रबंधक श्री त्रिलोकचंद्र परमार द्वारा संस्था की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया एवं आभार व्यक्त किया गया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।